रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 2012/आश्विन 11, 1934
No. 222] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012/ASVINA 11, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2012

अंतिम जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा)

विषय: - चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (एस एच एस) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच–अंतिम जांच परिणाम ।

सं. 15/34/2010-डीजीएडी.— 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन् एवं संग्रहण तथा क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

क. पृष्ठभूमि

1. यतः उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (एस एच एस) के आरोपित पाटन के बारे में 3 नवंबर, 2000 को पाटनरोधी जांच शुरू की और प्राधिकारी के 2 जनवरी, 2001 के प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर 12 मार्च, 2001 की सी.शु. अधिसूचना सं. 28/2001–सी.शु. के तहत चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइड (एस एच एस) के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । अंतिम जांच परिणाम 13 सितंबर, 2001 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग ने 2 नवंबर, 2001 की अधिसूचना सं. 114/2001–सी.शु. के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू किया था ।

2. और यतः 6 सितंबर, 2006 की अधिसूचना सं. 15/16/2005–डी जी ए डी के तहत प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि चीन जन.गण. से सोडियम हाइड्रोसल्फाइड पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना होगी और संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की सिफारिश की । तदनुसार, संबद्ध वस्तु पर 16 अक्टूबर, 2006 की सी.शु. अधिसूचना सं. 108/2006 के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

3. और यतः उपर्युक्त नियमावली में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समय–समय पर समीक्षा करनी अपेक्षित है । घरेलू उद्योग की ओर से मध्यावधि समीक्षा का अनुरोध दायर किया गया था । प्राधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. 15/21/2008–डी जी ए डी के तहत मध्यावधि समीक्षा शुरू की और 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना सं. 15/21/2008–डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए । प्राधिकारी ने नोट किया कि संदर्भ कीमत के रूप में शुल्क अपेक्षित राहत प्रदान करने में समर्थ नहीं रहा है और उन्होंने शुल्क के स्वरूप में संशोधन करना उचित समझा तथा पाटनरोधी शुल्क की संशोधित मात्रा की सिफारिश की । संबद्ध वस्तु पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क 9 दिसंबर, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 133/2009–सी.शु. के तहत लागू किया गया था ।

4. और यत मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंड. लि. ने चीन के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सतत पाटन का आरोप लगाते हुए अधिनियम तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टिकृत आवेदन दायर किया और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया । इस बात के प्रति संतुष्ट होने के उपरांत की याचिकाकर्ता ने समीक्षा की जरूरत की पुष्टि की है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 14 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं. 15/34/20010 – डी जी ए डी के तहत निर्णायक समीक्षा शुरू करना उचित समझा ।

ख सामान्य प्रकिया

5. इस जांच के बारे में निम्नलिखित प्रकिया अपनाई गई है :

क. निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना सं. 35/34/2010–डी जी ए डी, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 जारी की जिसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

ख. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों को भेजी और नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर संगत सूचना प्रदान करने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

ग. प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की प्रति भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात आयातकों और/अथवा उपभोक्ताओं को भेजी और उन्हें नियम 6(2) के अनुसार पत्र की तारीख से चालीस दिन के भीतर संगत सूचना प्रदान करने और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया ।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 6 (3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की प्रतियां ज्ञात उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों तथा संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराई । अगोपनीय आवेदन की एक प्रति अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थीं

ड. नियम 6 (4) के अनुसार प्राधिकारी ने संगत सूचना मांगने के लिए ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों सहित संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी । तथापि, संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया ।

च. नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्रदान करने के लिए ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी । प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के औद्योगिक प्रयोक्ताओं को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच के लिए संगत मानी गई सूचना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया था ।

छ. प्राधिकारी ने संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान करने हेतु 5 मार्च, 2011 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जिसमें ट्रांसपैक सिलोक्स इंड लि., डेमोसा कैमिकल्स प्रा. लि. और टी पी एम कंसलटेंट्स (घरेलू उद्योग के विधिक परामर्शदाता) उपस्थिति हुए थे । मौखिक सुनवाई में उपस्थित होने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से प्रस्तुत सूचना के लिखित अनुरोध दायर करने की सलाह दी गई थी । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त इन लिखित अनुरोधों पर विचार किया है। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक या आयातक ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग नहीं लिया और इसलिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ।

ज. जांच के दौरान घरेलू उद्योग सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और प्रदत्त सूचना/साक्ष्य पर प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक समुचित विचार किया गया है जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं ।

झ. प्राधिकारी ने जांच के दौरान स्वयं को प्रदत्त सूचना की यथातथ्यता के बारे में संतुष्ट किया जिन पर ये जांच परिणाम आधारित हैं । उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संगत और आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग का मौके पर सत्यापन किया । घरेलू उद्योग से क्षति के बारे में अतिरिक्त/पूरक ब्यौरे मांगे गए थे जो प्राप्त भी हो गए थे ।

ट. उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्य/आधार का ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है । प्रकटन विवरण जारी होने के बाद केवल घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं । इन टिप्पणियों पर इस जांच परिणाम में उचित कार्रवाई की गई है ।

ठ. नियम 6(7) के अनुसार प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराया जिसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा ।

ड. सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) और आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु की ईष्टतम उत्पादक लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए लागत जांच की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

ढ. ***यह चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे गुणदोष के आधार पर उसे गोपनीय ही माना है ।

ण. यह जांच 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि (12 माह और इसका उल्लेख जांच अवधि या पी ओ आई के रूप में किया गया है) के लिए की गई है । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृतियों की जांच में वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।

त. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज करेंगे ।

थ. हितबद्ध पक्षकारों क्षरा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी । संतुष्ट होने के उपरांत प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार गोपनीयता प्रदान की है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु:

6. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का या वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (रासायनिक सूत्र $Na_2S_2O_4$) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) है । सोडियम हाइड्रोसल्फाइट एक सफेद या मटमैला सफेद रवादार पाउडर होता है जो तीखी गंध वाले दृश्यमान बाह्य तत्वों से मुक्त होता है । सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का व्यापक उपयोग वस्त्र, साबुन, शीरा, सरेस और न्यूनकारी एजेंट, धात्विक आयनों के डी सल्फाइड से लेकर धातुओं, ऊनी बालों आदि में गुथाव जैसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है । वर्तमान जांच समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है । उसके बाद की अवधि में उत्पाद में कोई खास विकास नहीं हुआ है । सोडियम हाइड्रोसल्फाइट सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची–1 के सी.शु. उपशीर्ष 28321020 और 28311010 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच तथा प्रस्तावित उपायों के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

क. वर्तमान जांच चीन जन.गण. के उत्पादकों और/अथवा निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट के पाटन के खिलाफ लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसमें वृद्धि करने और उसे जारी रखने के लिए ।

ख. समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद वही माना जाना चाहिए जैसा कि पूर्ववर्ती जांचों में रहा है ।

ग. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम हाइड्रोसल्फाइट है । संबद्ध देश से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के बारे में नाम, सूत्र, विवरण, ग्रेड, प्रयोग, पैकिंग, परिवहन, वर्गीकरण, हैंडलिंग आदि सहित उत्पाद के संपूर्ण विवरण की जांच प्राधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती जांचों में की जा चुकी है और संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी के रिकॉर्ड में उपलब्ध है ।

घ. सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (एस एच एस) का मुख्यत: प्रयोग वस्त्र, साबुन, शीरा, सरेस और न्यूनकारी एजेंट, धात्विक आयनों के डी सल्फाइड से लेकर धातुओं, ऊनी बालों आदि में गुथाव जैसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है ।

ड. चीन जन.गण. से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (एस एच एस) और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट (एस एच एस) में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं ।

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. किसी भी आयातक, उपभोक्ता, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और वर्तमान जांच के दायरे के बारे में कोई टिप्पणी या अनुरोध दायर नहीं किया है ।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मल का या वहां से निर्यातित " सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" है । सोडियम हाइड्रोसल्फाइट एक सफेद या मटमैला सफेद रवादार पाउडर होता है जो तीखी गंध वाले दृश्यमान बाह्य तत्वों से मुक्त होता है । इसका रासायनिक सूत्र $Na_2S_2O_4$ है । इसका उल्लेख "हाइड्रोसल्फाइट सांद्रण", "सोडियम डाईथियोनाइट", " सोडियम हाइड्रोसल्फाइट" के रूप में भी किया जाता है । इसका व्यापक उपयोग वस्त्र, साबुन, शीरा, सरेस और न्यूनकारी एजेंट, धात्विक आयनों के डी सल्फाइड से लेकर धातुओं, ऊनी वालों आदि में गुथाव जैसे विविध औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है । प्राथमिक तौर पर इसका उपयोग ब्लीचिंग एड, न्यूनकारी एजेंट, भेषज एवं पॉलीमराइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है । वर्तमान जांच समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित किया गया है । सोडियम हाइड्रोसल्फाइट सी.शु. टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची–1 के सी.शु. उपशीर्ष 28321020 और 28311010 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच तथा प्रस्तावित उपायों के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

10. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देश में उत्पादित और/अथवा वहां से निर्यातित वस्तु के समान वस्तु माना जा सकता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी के पूर्ववर्ती निर्धारण का विरोध करते हुए उसे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । जांच के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामग्री नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित या वहां उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है ।

घ. घरेलू उद्योग

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

11. घरेलू उद्योग के बारे में घरेल उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :–.

क. वर्तमान याचिका मै. ट्रांसपैक सिलोक्स इंड. लि. द्वारा दायर की गई थी । मै. डेमोसा कैमिकल्स प्रा. लि., मै. टी सी पी लि. (टी सी पी) और मै. गुलशन कैमिकल्स लि. ने याचिका का समर्थन किया है ।

ख. याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" बनता है । इसके अलावा, याचिकाकर्ता और समर्थकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत बनता है ।

ग. यद्यपि, किसी निर्णायक समीक्षा के लिए आधार का होना अनिवार्य नहीं है, तथापि, याचिका आधार के मानदंड को पूरा करती है ।

घ. जांच की शुरूआत के बाद डेमासा कैमिकल्स और टी सी पी ने संगत क्षति सूचना प्रदान की है । तीनों कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का लगभग 79 प्रतिशत बनता है अतः तीनों कंपनियों नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं ।

घ.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इस बारे में कोई अनुरोध दायर नहीं किया है ।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13 *नियम 2 (ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा "।*

14. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है । इसके अलावा इस याचिका का समर्थन मै. टी सी पी लि., मै. डेमोसा कैमिकल्स प्रा. लि. और मै. गुलशन कैमिकल्स लि. ने किया था । अतः याचिका को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया माना गया था ।

15. जांच की शुरूआत के बाद मै. टी सी पी लि., मै. डेमोसा कैमिकल्स प्रा. लि. ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में समस्त सूचना प्रदान की है । कंपनियों ने सत्यापन हेतु प्रस्ताव किया था जो किया भी गया था । गुलशन कैमिकल्स लि. से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । प्राधिकारी के रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नोट किया जाता है कि भागीदार घरेलू उत्पादकों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 79 प्रतिशत बनता है । अतः भागीदार कंपनियों को नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना जा रहा है ।

ङ. अन्य मुद्दे

ङ.1 घरेलू उद्योग के विचार

16. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

क. किसी भी निर्यातक, आयातक और उपभोक्ता ने प्राधिकारी द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है । अतः इन हितबद्ध पक्षकारों को नियम 6(8) के अनुसार असहयोगी माना जाना चाहिए और प्राधिकारी को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए ।

ख. शुल्कमुक्त आयात प्राधिकार (डी एफ आई ए) स्कीम के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का पर्याप्त मात्रा में आयात सूचित किया जा रहा है जिसके लिए इन उत्पादों में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की वास्तविक खपत का उल्लेख नहीं है ।

ग. यद्यपि सरकार ने अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी (यथा डी ई पी बी) सीमाशुल्क छूट प्रदान की थी । तथापि, पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से छूट केवल ई ओ यू/एसीजैट तथा अग्रिम लाइसेंस स्कीम के संबंध में ही प्रदान/सीमित की गई थी । इसके अलावा, ये छूटें वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त तक सीमित थीं । इसी वजह से पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना किए गए आयातों की खपत घरेलू बाजार में बेचे गए तैयार उत्पाद के उत्पादन में नहीं की जानी चाहिए । अन्यथा इससे घरेलू उद्योग को सतत क्षति होगी । तथापि, यदि आयात ऐसे उत्पाद के उत्पादन हेतु देश में किए गए हैं जिसका भारत से निर्यात किया गया है तो पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से ऐसे आयातों को छूट की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होगी ।

घ. डी एफ आई ए के मामले में छूट से घरेलू उद्योग को सतत क्षति हो रही है जिसकी वजह यह है कि डी एफ आई ए एक हस्तांतरणीय लाइसेंस है । अग्रिम लाइसेंस के मामले में छूट इस स्पष्ट शर्त के साथ दी गई थी कि ऐसी छूट वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होगी । अतः प्राधिकारी कृपया यह सिफारिश करें कि पाटनरोधी शुल्क से छूट केवल वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के लिए है ।

ड. चीन में संबद्ध वस्तु की बेशी क्षमताएं हैं । इसे चीन द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा से देखा जा सकता है । इसके अलावा, भारत में मांग चीन के वैश्विक निर्यात की मात्रा की तुलना में काफी कम है । शुल्क के बावजूद भारत को हुए निर्यातों में वृद्धि वैश्विक निर्यातों की तुलना में अधिक हुई है ।

च. चीन के उत्पादकों द्वारा अन्य देशों में भी सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का पाटन किया जा रहा है । हालांकि इससे यह सिद्ध होता है कि चीन के उत्पादक वैश्विक बाजार में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट का पाटन कर रहे हैं । तथापि, इससे भारत की तुलना में अन्य बाजारों में उच्च कीमतों का भी पता चलता है । इसके अलावा, इससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में पाटन तेज होने की संभावना की पुष्टि होती है ।

छ. एस एच एस का देश में सतत पाटन का एक दशक से पुराना इतिहास है । पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और निर्धारित समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क में परवर्ती विस्तार किए जाने के बावजूद संबद्ध उत्पाद का आयात पाटित कीमत पर अत्यधिक मात्रा में जारी है ।

ज. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में किए गए अपने अनुरोधों को दोहराया है और प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वे अंतिम जांच परिणाम में प्रकटन विवरण में प्रकटित तथ्यों की पुष्टि करें । उन्होंने प्राधिकारी से अम.डा. मे तथा निर्धारित शुल्क आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है । उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि इन उत्पादों में सोडियम हाइड्रोसल्फाइट की वास्तविक खपत के बिना शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (डी एफ वाई के) स्कीम के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के भारी मात्रा में आयात सूचित किए जा रहे हैं । यद्यपि सरकार ने अन्य स्कीमों (अर्थात डी ई पी पी) के अंतर्गत भी सीमाशुल्क छूट प्रदान की थी, तथापि पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से छूट केवल ई

ओ यू, एसीजैड और अग्रिम लाइसेंस स्कीम के संबंध में ही प्रदान/सीमित की गई थी । इसके अलावा ये छूटें वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त तक सीमित हैं । ऐसा इस वजह से है कि पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना बिए गए आयातों की खपत घरेलू बाजार में बेचे गए तैयार उत्पाद के उत्पादन में की जानी चाहिए । अन्यथा इससे घरेलू उद्योग को सतत क्षति होगी । तथापि, यदि आयात किसी उत्पाद के उत्पादन के देश में किया गया है जिसका भारत से निर्यात किया गया है तो पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से ऐसे आयात पर छूट की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचेगी । यह भी कहा गया है कि डी एफ आई ए के मामले में छूट से घरेलू उद्योग को इस वजह से सतत क्षति हो रही है कि डी एफ आई ए एक हस्तांतरणीय लाइसेंस है । अग्रिम लाइसेंस के मामले में छूट इस स्पष्ट शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि ऐसी छूट वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होगी । अतः प्राधिकारी कृपया यह सिफारिश करें कि पाटनरोधी शुल्क से छूट केवल वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के लिए है ।

ड.2 निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

17. संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच के बारे में उत्तर दायर नहीं किया है ।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट किया है और मुद्दों की जांच नियमों के अनुसार इस अंतिम जांच परिणाम के संगत शीर्षों में की गई है । घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित कुछ निर्यात संवर्धन स्कीमों पर पाटनरोधी शुल्क उद्ग्रहण न किए जाने की वांछनीयता के मुद्दे के बारे में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के द्वारा उठाए गए मुद्दे वर्तमान पाटनरोधी जांचों के दायरे में नहकीं आते हैं ।

च. पाटन तथा पाटन मार्जिन

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

19. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए । इसके अलावा, बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार हेतु चीन के किसी उत्पादक या निर्यातक ने कोई दावा नहीं किया है । न तो चीन के निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है और न ही बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा किया है । ऐसा मामला होने के कारण अनुबंध–1 का पैरा 8 लागू करने और इस बात पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है कि क्या चीन की कंपनियां बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की पात्र हैं ।

ख. मूल और मध्यावधिक समीक्षा जांचों में प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के निर्यातों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया है ।

ग. पूर्व में संपन्न मध्यावधि समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित घरेलू उत्पादकों में से एक की नियुक्ति की अंतर्राष्ट्रीय लागत और परिवर्तन लागत के आधार पर चीन जन गण में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया था । याचिकाकर्ताओं का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस मामले में भी सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु वही कार्य प्रणाली अपनाई जाए ।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. संबद्ध देश के किसी निर्यातक ने वर्तमान जांच के बारे में कोई उत्तर दायर नहीं किया है ।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. प्राधिकारी ने पाटन और उसकी संभावना के निर्धारण हेतु कार्यप्रणाली के बारे में घरेलू उद्योग के तर्कों को नोट किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण प्राधिकारी के लिए शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना की जांच करना भी अपेक्षित है ।

छ. पाटन का निरंतर जारी रहना या उसकी पुनरावृति होना

22. प्राधिकारी ने धारा 9 क(1) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजी । पाटन और पाटन मार्जिन के बारे में चीन जन गण के किसी उत्पादक/निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । अतः प्राधिकारी के पास रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम समचना के अनुसार कार्रवाई करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है ।

ज. सामान्य मूल्य

23. धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत किसकी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में सामान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उपनियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

24. यह नोट किया जाता है कि चीन के किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध–I के पैरा 7 में उपबंध है कि :

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।

25. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त उपबंधों के आधार पर किया जाना चाहिए । प्राधिकारी ने अनुबंध–I के पैरा 7 और 8 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं । यह नोट किया जाता है कि चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों द्वारा उपर्युक्त अनुमान के खंडन के अधीन है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक/उत्पादक ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है और न ही पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया है ताकि निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जा सके कि क्या: -

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

(ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;

(ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है ।

26. चूंकि चीन के किसी भी निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था की प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावली को उत्तर दायर नहीं किए हैं और गैर–बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के खंडन की मांग नहीं की है, इसलिए प्राधिकारी इस बात पर विचार करने में असमर्थ हैं कि क्या चीन के एक या अधिक उत्पादकों को वर्तमान मामले में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जा सकता है । अतः प्राधिकारी चीन के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अनुबंध–I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं ।

27. सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर इस वजह से नहीं किया जा सकता है कि उक्त देश में किसी उत्पादक से संगत सूचना उपलब्ध नहीं है । यह नोट किया जाता है कि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु पर्याप्त सूचना और साक्ष्य अपेक्षित होता है । तथापि, घरेलू उद्योग या किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि ऐसी कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है ।

28. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और चीन के उत्पादकों से सहयोग के अभाव में प्राधिकारी ने "किसी अन्य आधार" पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना उचित माना है और चीन में सामान्य मूल्य का परिकलन सर्वोत्तम उत्पादन लागत के अनुमान के आधार पर किया है ।

सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली

29. प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन निम्नलिखित आधार पर किया है —

क. प्रमुख निविष्टियों की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर विचार किया गया है ।

ख. उत्पादन की प्रति इकाई कच्ची सामग्री की खपत पर घरेलू उद्योग के सत्यापित खपत मानकों के आधार पर विचार किया गया है ।

ग. परिवर्तन लागत पर घरेलू उद्योग के बीच कुशल उत्पादक की सूचना/आंकडों के आधार पर विचार किया गया है ।

घ. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागत (ब्याज लागत सहित) को घरेलू उद्योग में कुशल उत्पादक की सूचना/आंकड़ों के आधार पर लिया गया है ।

ड. लाभ में कारखाना लागत की 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है जिसमें ब्याज शामिल नहीं है ।

च. परिकलित सामान्य मूल्य *** अम.डा. प्रति मी ट. निर्धारित किया जाता है ।

झ. निर्यात कीमत:

30. धारा 9क (1) (ख) के अंतर्गत निर्यात कीमत का तात्पर्य: किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात कीमत" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत से है और जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है अथवा जहां निर्यातक या आयातक या किसी तीसरे पक्षकार के बीच एसोसिएशन या प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, वहां निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार पर निकाला जा सकता है जिस कीमत पर आयातित वस्तु की सर्वप्रथम पुनः बिक्री किसी स्वतंत्र क्रेता को की जाती है और यह उक्त वस्तु की पुनः बिक्री किसी स्वतंत्र क्रेता को नहीं की जाती है या आयातित रूप में पुनः बिक्री नहीं की जाती है वहां उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे यथोचित आधार पर किा जाए ;

31. निर्यात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजीं । संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने कोई सूचना दायर नहीं की ।

32. निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु निर्यातकों/आयातकों से किसी उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध आयात की मात्रा और मूल्य का आकलन करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त इंटरनेशनल बिजनेस इन्फारमेशन सर्विसेज (आई बी आई एस) की आयात सूचना पर भरोसा किया है ।.

33. आई बी आई एस द्वारा सूचित कीमतें सी आई एफ निर्यात कीमत है । इस प्रकार निर्धारित सी आई एफ निर्यात कीमत का समायोजन समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़े, कमीशन, बैंक प्रभारों और वैट अंतर के लिए किया गया है ताकि चीन के निर्यातकों/उत्पादकों के असहयोग के मद्देनजर उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर निवल निर्यात कीमत निकाली जा सके । कारखाना निर्यात कीमत *** अम.डा. प्रति मी ट. निर्धारित की जाती है ।

ट. पाटन मार्जिन

34. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्धारित कीमत पर विचार करते हुए पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है :

विवरण	इकाई	2010-11 (जांच अवधि)
सामान्य मूल्य	अम.डॉ. प्रति मी.ट.	***
निर्यात कीमत	अम.डॉ. प्रति मी.ट.	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ. प्रति मी.ट.	***
पाटन मार्जिन %	%	70-80

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण से पाटन मार्जिन काफी अधिक और निर्धारित न्यूनतम सीमा से ज्यादा है । अतः यह नोट किया जाता है, कि चीन के उत्पादकों ने सामान्य मूल्य से अत्यधिक कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात जारी रखा है जिसके परिणामस्वरूप सतत पाटन हुआ है । यह भी नोट किया जाता है कि आयात की मात्रा काफी अधिक है ।

क्षति तथा कारणात्मक संबंध

घरेलू उद्योग के विचार

36. घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है –

क. आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है । चीन से आयात में वृद्धि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भी है।
ख. आयातों का हिस्सा भारत में मांग/खपत की तुलना में काफी अधिक रहा है ।
ग. भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है ।
घ. चीन से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है ।
ड. आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री हो रही है ।
च. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हो रहा है ।
छ. घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब बना हुआ है । बाजार हिस्से, लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है ।

ज. यद्यपि, उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है, तथापि, बाजार हिस्से में गिरावट के कारण यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को पाटन के परिणामस्वरूपम मात्रात्मक क्षति हुई है।

झ. लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ में गिरावट के कारण यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग को पाटन के कारण कीमत के रूप में क्षति हुई है ।

ट. पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है ।

ठ. उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए जाने की संभावना है जिससे सतत पाटन होगा ।

ड. पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के कारण पाटन मार्जिन में गिरावट आने की संभावना नहीं है ।

ढ. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतम में भारी कटौती होने की संभावना है ।

ण. घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में भारी अंतर से आयात की मांग बढ़ने की संभावना है ।

त. चीन के उत्पादक कई देशों को विचाराधीन उत्पाद का पहले से निर्यात कर रहे हैं । इन देशों को निर्यात की कीमत भारत में प्रचलित कीमत से काफी कम है । अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश को होने वाले निर्यातों को भारतीय बाजार में भेजे जाने की संभावना है ।

थ. तीसरे देशों को हुए पर्याप्त निर्यातों और तीसरे देशों के लिए ऐसी निर्यात कीमत तथा भारत में कीमत के बीच भारी अंतर के कारण यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारी मात्रा में आयात किए जाने की संभावना है ।

द. आयातों में भारी वृद्धि होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को या तो अपनी कीमत घटानी पडेगी या बिक्री गंवानी पडेगी । किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी । यदि घरेलू उद्योग कीमते कम करता है तो उसे भारी वित्तीय घाटा होगा, निवेश पर नकारात्मक आय होगी और उसके लिए नकारात्मक नकद प्रवाह होगा। यदि घरेलू उद्योग कीमत में कमी नहीं करता है और आयातों में वृद्धि होती है तो घरेलू उद्योग बाजार हिस्सा गंवाएगा जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में गिरावट आएगी ।

ध. घरेलू उद्योग को पहले से ही क्षति हो रही है । यदि वर्तमान शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति और अधिक गंभीर होने की संभावना है ।

निर्यातक/आयातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार के विचार

37. किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है

प्राधिकारी द्वारा जांच

38. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति और उसकी संभावना के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है । वर्तमान क्षति या क्षति अवधि के दौरान क्षति जारी रहने का आकलन करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच की है ।

मांग तथा बाजार हिस्से का निर्धारण

39. मांग और बाजार हिस्से के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने भारतीय उत्पादकों की बिक्री और विभिन्न स्रातों से हुए आयातों पर विचार किया है । भारत में उत्पाद की मांग की गणना भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और विभिन्न देशों से ज्ञात आयातों की राशि के रूप में की गई है । इस प्रकार से निर्धारित मांग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है । .

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
मांग का निर्धारण	मी. ट.	39,876	35,199	43,592	44,413
प्रवृति		*100*	*88*	*109*	*111*
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	27,581	23,560	27,449	28,793
प्रवृति		*100*	*85*	*100*	*104*
सहयोगियों की बिक्री	मी. ट.	8,000	8,146	9,601	9,237
भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	35,581	31,706	37,050	38,030
प्रवृति		*100*	*89*	*104*	*107*
चीन से आयात	मी. ट.	2,311	2,792	5,903	5,061
प्रवृति		*100*	*121*	*255*	*219*
कोरिया तथा जर्मनी से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लाग	मी. ट.	1,506	608	533	1,277
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	414	38	55	45
कुल आयातक	मी. ट.	4,231	3,438	6,492	6,383

40. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2008–09 (वैश्विक मंदी की अवधि) को छोडकर आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की मांग में सकारात्मक प्रवृत्ति और वृद्धि प्रदर्शित हुई है । क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और संबद्ध देशों से आयातों में भी बढ़ोत्तरी हुई है । आधार वर्ष की तुलना में जहां मांग में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । दूसरी ओर क्षति अवधि के दौरान पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध देश से हुए आयात लगभग दोगुने हो गए हैं।

41. जहां लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है ।

मात्रात्मक प्रभाव

42. जहां तक पाटित आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में या समग्र रूप में अत्यधिक वास्तविक या संभावित वृद्धि हुई है ।

च्पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उतपादन और खपत की दृष्टि से पाटित आयातो में भारी वृद्धि हुई है ।छ

43. इस अवधि के दौरान आयातों की वास्तविक मात्रा निम्नानुसार रही है –

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
चीन से आयात संबद्ध देश	मी.ट.	2,311	2,792	5,903	5,061
कोरिया तथा जर्मनी से आयात (जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है)	मी.ट.	1,506	608	533	1,277
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	414	38	56	45
कुल आयातक	मी.ट.	4,231	3,438	6,492	6,383
निम्नलिखित की तुलना में चीन से आयात					
कुल आयातक	%	54.62	81.21	90.94	79.29
मांग	%	5.80	7.93	13.54	11.39
घरेलू उद्योग उत्पादन	%	7.62	9.10	18.34	14.83
मांग में बाजार हिस्सा					
चीन जन.गण.	%	5.80	7.93	13.54	11.39
कोरिया तथा जर्मनी	%	3.78	1.73	1.22	2.88
अन्य देश	%	1.04	0.11	0.13	0.10
घरेलू उद्योग	%	69.17	66.93	62.97	64.83
सहयोगी	%	20.06	23.14	22.02	20.80
भारतीय उत्पादक	%	89.23	90.08	84.99	85.63

44. यह नोट किया जाता है कि

क. संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा कुल आयातों में काफी बड़ा है और क्षति अवधि में यह लगभग दोगुना हो गया है । ऐसा इस स्रोत से हुए आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद हुआ है ।

ख. चीन से हुए आयातों में भारत में खपत/मांग की तुलना में वृद्धि हुई है । यद्यपि, जांच अवधि में हिस्से में मामूली गिरावट आई है, तथापि यह वर्ष 2007–08 और 2008–09 की तुलना में अभी भी काफी अधिक है। इसके अलावा, भारत में खपत की तुलना में आयातों में यह वृद्धि पूर्व में लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद हुई है ।

ग. क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों की तुलना में चीन से हुए आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 56 प्रतिशत से बढ़कर जांच अवधि में लगभग 80 प्रतिशत हो गया है ।

घ. पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के बावजूद क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में आयात मात्रा में वृद्धि हुई है ।

45. अतः यह नोट किया जाता है कि आयात मात्रा में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है ।

कीमत प्रभाव

46. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में नियमावली के अनुबंध–II (II) में निम्नानुसार निर्धारित है :

> *नियम 18 के उपनियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में अत्यधिक मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत को रोकना है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।*

47. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, इस बात की जांच की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा अत्यधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती । संबद्ध उत्पाद के लिए तुलना निर्यातित उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री की साथ की गई थी । घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत का निर्धारण व्यापार के समान स्तर पर सभी रिबेटों और करों को छोड़कर किया गया है।

कीमत कटौती

अवधि	यू ओ एम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	10-15	1-6	10-15	25-30

48. यह नोट किया जाता है कि

क. वर्ष 2008–09 में आयात कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और उसके बाद 2009–10 तथा 2010–11 में आयात कीमत में काफी गिरावट आई ।

ख. समूची क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत आयातों की बिक्री कीमत से कम रही जिसके परिणामस्वरूप कीमत में भारी कटौती हुई । जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती की मात्रा काफी अधिक थी । अतः यह नोट किया जाता है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है ।

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

49. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागत और कीमत घट–बढ़ तथा चीन से हुए आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना की गई है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या पाटित आयातों के प्रभाव से कीमत में अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती ।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रू/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*108*	*95*	*97*
निवल बिक्री प्राप्ति	रू/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*132*	*1 5*	*112*
आयातों की पहुंच कीमत	रू/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	*Indexed*	*100*	*146*	*117*	*92*

50. यह नोट किया जाता है कि

क. वर्ष 2008–09 में बिक्री लागत में भारी वृद्धि हुई और उसके बाद 2009–10 में गिरावट आई । जांच अवधि में बिक्री लागत में पुनः वृद्धि हुई । कुल मिलाकर आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में गिरावट आई है ।

ख. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उतार–चढ़ाव वर्ष 2007–08 और 2009–10 के बीच लागत के अनुरूप रहा है । तत्पश्चात जांच अवधि में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई जबकि 2010–11 में बिक्री कीमत में गिरावट आई ।

ग. समग्र क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए कोई कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है । तथापि, वर्ष 2008–09 से निवल बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री लागत में तद्नुरूपी गिरावट से काफी अधिक हुई है और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में ह्रास हुआ है और घरेलू उद्योग बिक्री लागत से अधिक अपनी कीमत में वृद्धि नहीं कर सका है ।

घरेलू उद्योग के संबंध में आर्थिक मापदंड

51. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के विश्लेषण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । जहां तक ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव का संबंध है, नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित ऋणात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा ।.

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग तथा बिक्री

52. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:-

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
स्थापित क्षमता	मी.ट.	37,500	37,500	37,500	39,500

प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	105
उत्पादन	मी.ट.	30,342	30,696	32,183	34,128
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	106	112
क्षमता उपयोग	%	80.91	81.86	85.82	86.40
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	106	107
आबद्ध हस्तांतरण	मी.ट.	64	55	51	0
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	86	80	0
घरेलू बिक्री	मी.ट.	27,58[illegible]	23,560	27,449	28,793
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	85	100	104
आबद्ध खपत सहित मांग	मी.ट.	39,876	35,199	43,592	44,413
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	88	109	111
बिक्री के रूप में मांग का %	मी.ट.	69.17	66.95	62.97	64.83

53. यह नोट किया जाता है कि:

क. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में मामूली वृद्धि की है । इस अवधि के दौरान उत्पाद की मांग में भी वृद्धि हुई है ।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में लगातार सुधार प्रदर्शित हुआ है । जांच अवधि में क्षमता में वृद्धि के बावजूद भी क्षमता उपयोग में सुधार हुआ ।

ग. वर्ष 2008–09 (जब उत्पाद की मांग में भी गिरावट आई थी) को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में समग्र रूप में सुधार हुआ है । तथापि, यह नोट किया जाता है कि भारत में उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि की तुलना में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में हुई वृद्धि कम है । परिणामतः भारत में खपत की तुलना में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है ।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद की आबद्ध खपत नितांत नगण्य है । यद्यपि जांच अवधि में आबद्ध खपत में गिरावट आई, तथापि, आबद्ध खपत की मात्रा समग्र रूप में नगण्य होने के कारण यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है ।

<u>बजार हिस्सा:</u>

54. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है:

	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
मांग	मी.ट.	39,876	35,199	43,592	44,413
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%				

		69.17	66.93	62.97	64.83
अन्य घरेलू उत्पादक	%	20.06	23.14	22.02	20.80
संबद्ध देश-चीन	%	5.80	7.93	13.54	11.39
तीसरे देश जिन पर शुल्क लागू है	%	3.78	1.73	1.22	2.88
अन्य देश	%	1.04	0.11	0.13	0.10

55. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है और चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है ।

लाभ, निवेश पर आय तथा नकद प्रवाह

56. घरेलू उद्योग के लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह की जांच निम्नानुसार की गई है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ	रू./लाख	"	"	"	"
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*5*	*-5*	*-33*
ब्याज पूर्व लाभ	रू./लाख	"	"	"	"
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*19*	*3*	*-29*
नियोजित पूंजी पर आय	%	"	"	"	"
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*20*	*2*	*-26*
नकद लाभ	रू./लाख	"	"	"	"
प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*-100*	*16*	*5*	*-26*

57. यह नोट किया जाता है कि

क. घरेलू उद्योग को वर्ष 2007–08 में भारी वित्तीय घाटा हुआ है । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में 2008–09 में अत्यधिक सुधार हुआ और इस अवधि में चीन की आयात कीमत में वृद्धि हुई । उसके बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में पुनः गिरावट आई और घरेलू उद्योग को जांच अवधि में वित्तीय घाटा हुआ ।

ख. लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह (नकद लाभ के रूप में आकलित) में लाभ जैसी प्रवृति प्रदर्शित हुई है । वर्ष 2008–09 में लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ के बारे में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और उसके बाद उसमें भारी गिरावट आई । जांच अवधि में लगाई गई पूंजी पर आय और नकद लाभ, दोनों नकारात्मक रहे थे ।

रोजगार तथा मजदूरी

58. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में बहु उत्पाद कंपनियां शामिल हैं । रोजगार और मजदूरी से घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रत्यक्ष प्रभाव का पता नहीं चल सका है । घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर और मजदूरी की स्थिति निम्नानुसार रही है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
रोजगार	सं.	"	"	"	"
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*104*	*103*	*106*
मजदूरी	रू/लाख	"	"	"	"
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*122*	*140*	*147*

59. उपर्युक्त से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तर में सुधार हुआ है **तथा** मजदूरी के स्तर में भी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है ।

उत्पादकता

60. घरेलू उद्योग की उत्पादकता संबंधी निष्पादन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	"	"	"	"
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*97*	*103*	*106*
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	"	"	"	"
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*101*	*106*	*112*

61. यह नोट किया जाता है कि उत्पादकता में उत्पादन के अनुरूप सुधार हुआ है ।

मालसूची

62. प्राधिकारी ने की मालसूची स्तर की जांच की है जिसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
अंतिम स्टॉक	मी.ट.	""	""	""	""
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*110*	*37*	*104*
औसत स्टॉक	मी.ट.	""	""	""	""
प्रवृति	*सूचीबद्ध*	*100*	*68*	*47*	*46*

63. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर में गिरावट आई है ।

पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

64. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है और उत्पाद में अत्यधिक नया निवेश किया है । यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता का इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है कि पाटनरोधी शुल्क लागू है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है । निवेश जुटाने की क्षमता से समग्र व्यापार प्रचालन का प्रदर्शन होता है और यह उत्पाद विशेष निष्पादन पर निर्भर नहीं होती है ।

वृद्धि

65. मात्रा और कीमत संबंधी विभिन्न मापदंडों के बारे में घरेलू उद्योग की वृद्धि निम्नानुसार रही थी :–

	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
उत्पादन	%	-	1.17	4.84	6.04
घरेलू बिक्री	%	-	(14.58)	16.51	4.90
घरेलू बिक्री कीमत	%	-	***	***	***
घरेलू बिक्री की लागत	%	-	***	***	***
औसत स्टॉक	%	-	(32.28)	(29.88)	(3.46)
लाभ	%	-	***	***	***
आर ओ आई	%	-	***	***	***

66. यह नोट किया जाता है कि बाजार हिस्से को छोड़कर मात्रात्मक मापदंडों के बारे में घरेलू उद्योग की वृद्धि सकारात्मक रही थी । घरलू बिकी के बारे में घरेलू उद्योग की वृद्धि बाजार वृद्धि की तुलना में कम रही थी जिससे बाजार हिस्से के संबंध में नकारात्मक वृद्धि हुई । इसके अलावा, वर्ष 2008–09 में कीमत मापदंडों के बारे में वृद्धि सकारात्मक थी और उसके बाद नकारात्मक हो गई । अतः यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था ।

पाटन की मात्रा

67. यह नोट किया जाता है कि चीन के इस उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी में भी जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का पर्याप्त पाटन हुआ है । इसके अलावा, इस जांच से संबंधित पूर्ववर्ती जांचों में भी पाटन मार्जिन सकारात्मक पाया गया है ।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

68. प्राधिकारी ने चीन जन.गण और अन्य देशों से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और पाटित आयातों से इतर कारकों पर विचार किया है जिनसे घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं । जांच के बाद यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत में भारी कटौती हुई है । अन्य देशों से आयात काफी अधिक कीमतों पर हुए हैं या उन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है । यह भी नोट किया जाता है कइस उत्पाद का कोई व्यवहार्य सीनापन नहीं है । यह भी नोट किया जाता है कि उत्पाद की मांग सकारात्मक है और यह घरेलू उद्योग के कीमत ह्रास के लिए जिम्मेवार कारक नहीं हो सकती है । घरेलू उद्योग की कीमत के लिए जिम्मेवार कारकों में से एक कारक संबद्ध देशों की आयात कीमत और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत है ।

क्षति तथा क्षति मार्जिन का निर्धारण

69. घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत और जांच अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत पर विचार करते हुए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है । यह नोट किया जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत क्षति रहित कीमत और घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से काफी कम है । इस प्रकार आयातो से कम कीमत पर बिक्री हो रही थी ।

क्षति रहित कीमत	रू./मी.ट.	***
पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***
क्षति रहित कीमत	रू./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन	रू./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***
क्षति मार्जिन	%	***
क्षति मार्जिन	रेंज	50-60%
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***

वर्तमान क्षति के बारे में निष्कर्ष

70. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है । यह वृद्धि समग्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में भी हुई है । मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों में वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन गण से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिकी कीमत, उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से काफी कम थी जिसकी वजह से कीमत में अत्यधिक कटौती और कीमत में भारी ह्रास हुआ है । पाटन के प्रभाव से घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास हुआ है और होने वाली उस कीमत वृद्धि मे रूकावट आई है जो पाटन के अभाव में बढ़ गई होती । घरेलू उद्योग लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमत बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। आगे यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2008–09 तक लाभ, निवेश पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और उसके बाद जांच अवधि तक भारी गिरावट आई है । घरेलू उद्योग वर्ष 2007–08 में चीन के पाटित आयातों के कारण पहले से क्षति भुगत रहा था और इस स्थिति में 2008–09 में सुधार हुआ था । यह भी नोट किया जाता है कि हालांकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है और उसके बाद घरेलू उद्योग को समीक्षा जांच अवधि के दौरान वित्तीय घाटा हुआ है, लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक आय और नकारात्मक नकद लाभ प्राप्त हुआ है । यह भी नोट किया जाता है कि क्षति के एक कारक के रूप में निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक है । उत्पादकता, रोजगार, मजदूरी और मालसूची जैसे कारकों में भी खास गिरावट प्रदर्शित नहीं होती है । यह नोट किया जाता है कि लाभ, लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह में गिरावट से इस बात की पुष्टि होती है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में वास्तविक गिरावट आई है । घरेलू उद्योग के निष्पादन में यह गिरावट पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद आई है ।

पाटनरोधी क्षति की संभावना

71. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 (क) (5) के अनुसार पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति की संभावना जारी रहने के प्रश्न की जांच की है । इस धारा में निम्नानुसार उल्लेख है:-

(5)"इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा :

परंतु यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।"

तीसरे देश से पाटन

72. घरेलू उद्योग ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने अनुरोधों में यह दावा किया कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन उस कीमत पर किया जा रहा है जो कथित तौर पर पाटित कीमत है । इस संबंध में घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से तीसरे देशों को हुए निर्यातों के बारे में पाटन मार्जिन काफी अधिक है । यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध देश से अन्य देशों में आरोपित पाटन के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों का खंडन नहीं किया है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग के दावों का खंडन करने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

निर्यातकों के पास पर्याप्त उत्पादन क्षमता और विदेशी उत्पादकों का निर्यात अभिमुखीकरण

73. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह दावा किया है कि संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में अत्यधिक बेशी क्षमताएं हैं । घरेलू उद्योग द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने अनुरोधों में किए गए दावों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

विवरण-मी.ट.	अप्रैल'10-मार्च'11
स्थापित क्षमता	905,000
चीन में उत्पादन	630,000
चीन में खपत	496,000
देशवार निर्यात	134,000
क्षमता उपयोग %	69.61%
सरप्लस क्षमता	275,000

74. यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी सत्यापनीय साक्ष्य के साथ संबद्ध देश के उत्पादकों के पास उपलब्ध अतिरिक्त बेशी क्षमता होने के बारे में घरेलू उद्योग के अनुरोधों का खंडन नहीं किया है ।

75. प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देश के उत्पादकों ने घरेलू मांग से काफी अधिक क्षमताएं निर्मित की हैं और ये क्षमताएं निर्यात बाजारों पर विचार करते हुए सृजित की गई हैं । भारतीय बाजार अपने आकार के अनुसार एक बड़ा बाजार है, शुल्क समाप्ति से आयातों में भारी वृद्धि होगी और वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने की स्थित में इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत को संबद्ध देश से आयात में पाटित कीमत पर वृद्धि होगी ।

उपायों के अभावों में आयातों का कीमत कटौती कारी एवं ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव

76. शुल्क समाप्ति की स्थिति में संबद्ध देश से हुए आयातों के कीमत कटौतीकारी, ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव का मूल्यांकन करने और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन की संभावना एवं घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने जांच अवधि और क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य का विश्लेषण किया है । इस संबंध में आंकड़ों का विश्लेषण संक्षेप में निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रू/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	*100*	*132*	*115*	*112*
पहुंच कीमत	रू/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	*100*	*146*	*117*	*92*

77. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध देश से आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से सामान्यतः कम रहा है जबकि जांच अवधि में कीमत में काफी उच्च अंतर रहा है । संबद्ध देश से आयातों की कीमत में प्रवृतियों के कारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के कारण कीमत में सतत कटौती होने की संभावना है ।

78. घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत की तुलना आयातों की पहुंच कीमत के साथ करने पर यह पता चलता है कि यदि वर्तमान उपाय समाप्त होता है तो घरेलू उद्योग अपनी कीमत में आगे और कटौती करने के लिए बाध्य होगा । अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू

उद्योग को हुए वित्तीय घाटे में इजाफा होगा । परिणामतः लगाई गई पूंजी पर आय और नकद प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में आगे और गिरावट आएगी । यह नोट किया जाता है कि यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत की बराबरी करने के लिए कीमत में कमी करेगा तो उसे भारी वित्तीय घाटा होगा और लगाई गई पूंजी पर अत्यधिक नकारात्मक आय प्राप्त होगी ।

विवरण	इकाई	जांच अवधि
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./मी.ट.	***
आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	***
उत्पादन की लागत	रू./मी.ट.	***
क्षति रहित कीमत	रू./मी.ट.	***
आयात कीमतों से मिलान के पश्चात बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***

पाटन और क्षति की संभावना के बारे में निष्कर्ष

79. रयह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने इस बात की जांच करने के लिए कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना होगी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा शुरू की है। जांच के दौरान यह नोट किया गया है कि चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात समीक्षा हेतु जांच अवधि के दौरान पाटित कीमत पर हो रहे हैं जिससे सतत पाटन की पुष्टि होती है और यह भी पता चलता है कि उपाय समाप्त किए जाने से पाटन में तेजी आने की संभावना है । यह भी नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादक सामान्य मूल्य से कम कीमत पर तीसरे देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं । यह भी नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है । जांच अवधि में कीमत कटौती काफी अधिक मानी गई है । यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और क्षति रहित कीमत से काफी कम थी । यह भी नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक मुक्त रूप से निपटान योग्य अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं । पूर्ववर्ती जांचों के समय औश्र इस समय प्रचलित परिस्थितियों, मापदंडों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । अतः यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है ।

अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

80. नियमावली के अनुबंध–2 में कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नानुसार उपबंध है:

यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त पैरा (ii) और (iv) में यथानिर्धारित पाटित आयात पाटन के प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं । पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संगत साक्ष्य की जांच पर आधारित होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों से इतर ऐसे किसी अन्य ज्ञात कारक की भी जांच की जाएगी जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं और इन अन्य कारकों से हुई क्षति की वजह पाटित आयातों को नहीं माना जाना चाहिए । इस संबंध में जो कारक संगत हैं, उनमें अन्य कारकों के साथ–साथ शामिल हैं– पाटित कीमत पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता ।

81. यह नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती जांचों में कारणात्मा संबंध की पुष्टि की गई है । वर्तमान समीक्षा जांच में प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

क पाटित कीमत पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य:

82. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के अधीन देशों अर्थात यूरोपीय संघ के अलावा संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है । विभिन्न देशों से हुए आयातों के विवरण से यह पता चलता है कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा अधिक नहीं रही है ।

ख. मांग में कमी:

83. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है और उसमें सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है । अतः मांग में कमी ऐसा संभावित कारण नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके ।

ग. **खपत की प्रवृति में परिवर्तन:**

84. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । खपत की पद्धति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है ।

घ. **घरेलू और विदेशी उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार एवं उनके बीच प्रतिस्पर्धा:**

85. यह नोट किया जाता है कि ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण माना जा सके ।

ड. **प्रौद्योगिकी विकास:**

86. यह नोट किया जाता है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है । अतः प्रौद्योगिकी विकास क्षति का संभावित कारक प्रतीत नहीं होता है । घरेलू उद्योग पिछले कई वर्षों से विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहा है । यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी विश्व भर के अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी से तुलनीय है ।

च. **निर्यात निष्पादन:**

87. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2008–09 (जब मांग में गिरावट आई थी) में घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी । यह भी नोट किया जाता है कि उसके बाद निर्यात मात्रा में गिरावट आई । जांच अवधि में निर्यात की मात्रा 2007–08 में हुए निर्यात की मात्रा से अधिक थी । केवल घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना को ही संभव सीमा तक क्षति निर्धारण हेतु हिसाब में लिया गया है ।

छ. **घरेलू उद्योग की उत्पादकता:**

88. यह नोट कियाजाता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है । उत्पादकता में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को हुई क्षति प्रतीत नहीं होती है ।

ज. **घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और विकीत अन्य उत्पादों का निष्पादन:**

89. घरेलू उद्योग बहु उत्पाद कंपनियां हैं । विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रदत्त सूचना में अन्य उत्पादों की कोई सूचना निहित नहीं है । यह नोट किया जाता है कि अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ।

90. घरेलू उद्योग के निष्पादन, क्षति के अन्य कारकों की जांच के बाद पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शाने वाले निम्नलिखित कारकों से यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होगी -

क. जांच अवधि के दौरान चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है जिससे पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है ।

ख. लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा गंवाया है ।

ग. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिकी जारी है । इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हुआ है । लगाई गई पूंज पर नकारात्मक आय प्राप्त हुई है और नकारात्मक नकद लाभ हुआ है ।

घ. विदेशी उत्पादकों के पास मुक्त रूप से निपटान योग्य अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं । अत्यधिक सकारात्मक कीमत कटौती के कारण पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में आयात मात्रा में भारी वृद्धि होने की संभावना है ।

91. अतः यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटनर और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है ।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

92. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में उत्पाद का कीमत स्तर प्रभावित होगा। तथापि, पाटनरोधी उपायों द्वारा भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं आएगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन के व्यवहार द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे,

घरेलू उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी ।

93. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से होने वाले आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

निष्कर्ष:

94. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन एवं परिणामी क्षति जारी रहने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

(i) भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का प्रवेश सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है जिसके परिणामस्वरूप सतत पाटन हुआ है ।

(ii) यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु द्वारा पाटित कीमत पर सवंर्धित मात्रा में प्रवेश करने की संभावना है ।

(iii) घरेलू उद्योग को सतत क्षति हुई है ।

(iv) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को सतत क्षति होने की संभावना है और इसके निष्पादन में आगे और गिरावट आने की संभावना है ।

(v) वर्तमान शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है ।

(vi) अतः पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाना और उसमें संशोधन करना अपेक्षित है ।

सिफारिशें:

95. यह **निष्कर्ष** निकालने के बाद कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में उक्त उपाय की अवधि को बढ़ाना अपेक्षित है ।

96. इस आशय की जांच करने और निष्कर्ष निकालने के बाद कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है । यह आवश्यक माना जाता है कि निम्नलिखित तालिका में की गई सिफारिश के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लागू रखने की सिफारिश की जाए । प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । प्राधिकारी ने वर्तमान क्षति अवधि के दौरान पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है और वर्तमान जांचों में पाए गए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन को ध्यान में रखने के लिए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन करना उचित और आवश्यक माना है । अतः प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि संबद्ध देश के मूल के या वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम (10) मे तद्नुरूपी प्रविष्टि मे निर्दिष्ट मुद्रा में कॉलम (9) की तद्नुरूपी प्रविष्टि मे उल्लिखित राशि के बराबर और कॉलम (11) में तद्नुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाए जैसा कि निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किया गया है ।

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि (अम. डा में)	मुद्रा	माप की इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2831 तथा 2832	सोडियम हाइड्रोस ल्फाइट	समस्त ग्रेड	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	435-39	अम. डॉ.	मी.ट.
2.	2831 तथा 2832	सोडियम हाइड्रोस ल्फाइट	समस्त ग्रेड	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	435-39	अम. डॉ.	मी.ट.

97. इस सिफारिश की वजह से केन्द्र सरकार के आदेशों के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2012

Final Findings (Sunset Review)

Sub: Sunset Review Investigation of anti-dumping duty imposed against imports of Sodium Hydrosulphite (SHS) originating in or exported from China PR – Final findings.

No. 15/34/2010-DGAD.—

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules);

A. BACKGROUND

1. WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) initiated an antidumping investigation on 3rd November, 2000 into alleged dumping of Sodium Hydrosulphite (SHS) originating in or exported from China PR and provisional antidumping duty was imposed on imports of Sodium Hydrosulphite (SHS) from China PR vide customs notification no. 28/2001-CUS dated 12th March, 2001 on the basis of the preliminary findings of the Authority dated 2nd January, 2001. The final findings were notified vide notification dated 13th September, 2001 and the Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods from the subject country vide notification no. 114/2001-CUS dated 2nd November, 2001.

2. AND WHEREAS vide Notification No. 15/16/2005-DGAD dated 6th September 2006, the Authority concluded that the cessation of antidumping duty on Sodium Hydrosulphite from China PR will lead to continuation or recurrence of dumping and injury and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject goods. Accordingly, definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 108/2006-Customs dated 16th October 2006.

3. AND WHEREAS the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of anti dumping duty. A request for midterm review was filed on behalf of the domestic industry. The authority vide notification No. 15/21/2008-DGAD, dated the 1st October, 2008, initiated midterm review and notified final findings *vide* notification No. 15/21/2008-DGAD, dated the 31st August, 2009. The Authority noted that the duty in the form of reference price has not been able to provide the desired relief and considered it appropriate to modify the form of duty and recommended revised quantum of

anti dumping duty. The revised antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 133/2009-Customs dated 9th Dec., 2009.

4. AND WHEREAS M/s Transpek Silox Industry Ltd. filed a duly substantiated application in accordance with the Act and the AD Rules before the Authority alleging continued dumping of the subject goods originating in or exported from China and requested for review and continuation of the anti-dumping duties. Having satisfied itself that the petitioner has substantiated the need for a review, the Designated Authority considered it appropriate to initiate sunset review vide notification no. 15/34/2010-DGAD dated 14th October, 2011.

B. GENERAL PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

a. The Authority issued public notification no. 15/34/2010-DGAD dated 14th October, 2011 initiating sunset review investigations, which was published in the Extraordinary Gazette of India.

b. The Authority forwarded a copy of the public notice to the known producers and/or exporters in the subject country and provided them opportunity to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rule 6(2)

c. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and/or consumers of subject goods in India and advised them to provide relevant information and make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(2).

d. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known producers and/or exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non-confidential application was also made available for other interested parties, on request.

e. The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the government of subject country, including known exporters/producers in accordance with the Rule 6(4). However none of the exporters/producers from the subject country filed response to the questionnaire.

f. Questionnaire was sent to known importers or users for providing necessary information in accordance with Rule 6(4). The Authority provided opportunity to the industrial users of the product under consideration, to furnish information considered relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. However none of the importers filed response to the questionnaire.

g. The Authority held a public hearing on 5th March, 2011 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally, which was attended by Transpek-Silox Industry Limited, Demosha Chemicals Pvt. Limited and TPM Consultants (legal consultants for the domestic industry). The parties attending the public hearing were advised to file written submissions of the information presented orally. Authority has considered these written submissions received from interested parties. However none of the producers/exporters or importers attended the public hearing and therefore has not submitted the written submissions.

h. Arguments raised and information/evidence provided by the interested parties, including domestic industry, during the course of the investigation, to that extent the same are considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.

i. The Authority during the course of investigation satisfied itself as to the accuracy of the information supplied upon which these findings are based. For that purpose, the Authority conducted on-the-spot verification of the domestic industry to the extent considered relevant and necessary. Additional/ supplementary details regarding injury were sought from the domestic industry, which were also received.

j. In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been considered in Final Findings. Following issuance of disclosure statement, the comments have been received only from the domestic industry. The comments have been dealt in the appropriate headings in this findings.

k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by domestic industry through a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7).

l. Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

m. **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

n. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2010 to 31st March 2011 (12 months and has been referred to as the period of investigation or POI). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2007-08, 2008-09, 2009-10 and POI.

o. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority shall record findings on the basis of the facts available.

p. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

6. The product under consideration is Sodium Hydrosulphite (Chemical formula ($Na_2S_2O_4$) (referred to as subject goods hereinafter) originating in or exporter from China PR. Sodium Hydrosulphite is a white or grayish white crystalline powder, free from visible foreign particles with pungent odour. Sodium Hydrosulphite is widely used in diverse industrial sectors like Textiles, Soap, Molasses, Glue and reducing agent, disulphide of metal ions to Metals, linkage in wool hair etc. Present investigation being a review investigation, scope of the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the product during the period

thereafter. Sodium Hydrosulphite is classified under custom sub-heading 28321020 and 28311010 of Schedule I of the customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative and in no way binding on the scope of the present investigations and proposed measures.

C.1 Views of the Domestic Industry

7. Domestic industry has made following submissions:-

a. The present investigation is for the review, enhancement and continuance of anti dumping duty in force against dumping of Sodium Hydrosulphite in the Indian market by the producers and/or exporters of China PR.

b. Being a review investigation, product under consideration should be considered the same as has been in the earlier investigations.

c. The product under consideration in the present investigation is Sodium Hydrosulphite. The complete description of the product including nomenclature, formula, description, grades, uses, packing, transport, classification, handling etc. in respect of the product under consideration being imported from the subject country is already examined by the Designated Authority in the previous investigations and the relevant information is on record of the Designated Authority.

d. Sodium Hydrosulphite (SHS) is mainly used in diverse industrial sectors like Textiles, Soap, Molasses, Glue and reducing agent, disulphide of Metal ions to Metals, linkage in wool hair etc.

e. There is no known difference in Sodium Hydrosulphite (SHS) exported from China PR and Sodium Hydrosulphite (SHS) produced by the petitioner. The goods produced by the domestic industry are like article within the meaning of anti dumping Rules.

C.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties

8. None of the importers, consumers, exporters and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration, like articles and scope of the present investigations.

C.3 Examination by the Authority

9. The product under consideration is "Sodium Hydrosulphite" originating in or exported from China PR. Sodium Hydrosulphite is a white or grayish white crystalline powder, free from visible foreign particles with pungent odour. Its chemical formula is $Na_2S_2O_4$. It is also described as "Hydrosulphite Concentrate", "Sodium Dithionite" "Sodium Hydrosulfite". It is widely used in diverse industrial sectors like Textiles, Soap, Molasses, Glue and reducing agent, disulphide of Metal ions to Metals, linkage in wool hair etc. Primarily, it is used as bleaching aid, reducing agent, pharmaceuticals and polymerizing agent. Present investigation being a review investigation, the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. Sodium Hydrosulphite is classified under custom sub-heading 28321020 and 28311010 of Schedule 1 of the customs Tariff Act, 1975. The

classification is, however, indicative and in no way binding on the scope of the present investigations and proposed measures.

10. In order to determine whether goods produced by the domestic industry can be considered like article to the goods produced and/or exported from the subject country, the Authority notes that no submissions has been received by the Authority, opposing previous determination of the Authority. The Authority, on the basis of the examination, holds that the material produced by the domestic industry is like article to the goods imported or produced in subject country within the meaning of the Rules.

D. DOMESTIC INDUSTRY

D.1 Views of the Domestic Industry

11. The Domestic industry made following submissions regarding domestic industry.

a. The present petition was filed by M/s Transpek-Silox Industry Limited. M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited, M/s. TCP Limited (TCP) and M/s. Gulshan Chemicals Ltd. have supported the petition.
b. The production of petitioner accounts for "a major proportion" in Indian production. Further, production of the petitioner and the supporters account for 100 percent of Indian production.
c. Even though standing is not mandatory for a sunset review, the petition satisfies the standing.
d. Post initiation, Demosha Chemicals and TCP have provided relevant injury information. The production of the three companies constitutes about 79% of Indian production. The three companies therefore constitute domestic industry within the meaning of the Rules.

D.2 Views of the Exporter, Importers, Consumers and Other Interested Parties

12. None of the other interested parties filed any submissions in this regard.

D.3 Examination by the Authority

13. According to the Rule 2 (b), "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only.

14. It is noted that the production of the petitioner constitutes a major proportion in the Indian production. Further, the petition was supported by M/s TCP, M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited and M/s. Gulshan Chemicals Ltd. Therefore, the petition was considered to have been made by the domestic industry within the meaning of Anti Dumping Rules.

15. Post initiation, M/s TCP Limited. M/s. Demosha Chemicals Pvt. Limited have provided all relevant information concerning injury to the domestic industry. The companies offered themselves for verification, which was also conducted. No information was received from

Gulshan Chemicals Ltd. Based on the information available on records of the Authority, it is noted that the production of the participating domestic producers constitutes 79% of Indian production. The participating companies therefore are being considered as domestic industry within the meaning of the Rules.

E. OTHER ISSUES

E.1 Views of the Domestic Industry

16. The Domestic industry has submitted as under:

a. None of the exporters, importers and consumers have responded to the questionnaire issued by the Authority. These interested parties should therefore be considered non-cooperative as per Rule 6(8) and the Authority should proceed according to the best information available.
b. Significant imports of the product under consideration are being reported under Duty Free Import Authorization (DFIA) Scheme, without actual consumption of sodium hydrosulphite in these products.
c. Even when the Government had granted customs duty exemptions under other schemes as well (such as DEPB), the exemption from payment of anti-dumping duty was granted/restricted only in respect of EOU, SEZ and Advance License Scheme. Further, these exemptions were limited to actual user condition. This was for the reason that imports made without payment of anti-dumping duty should not be consumed in the production of finished product sold in the domestic market. Otherwise it would lead to continued injury to the domestic industry. However, if imports have been made in the country for the production of a product which has been exported from India, exemption of such import from payment of anti dumping duty would not cause injury to the domestic industry.
d. The exemption in case of DFIA is leading to continued injury to the domestic industry for the reason that DFIA is a transferable license. In case of Advance Licence, the exemption was granted with a clear condition that such exemption shall be subjected to actual user condition. Thus, the Authority may kindly recommend that the exemption from anti-dumping duty is only for actual user condition.
e. China holds excessive capacities for the subject goods. The same can be seen in the volume of exports maintained by China. Further, Indian demand is quite low as compared to Chinese global export volumes. Despite duty, increase in exports to India is more than global exports.
f. Sodium hydrosulphite is being dumped by Chinese producers in other countries as well. While this establishes that Chinese producers are resorting to dumping of Sodium hydrosulphite in global market, this also signifies higher prices in other markets as compared to India. Further, it establishes likelihood of intensified dumping in the Indian market in the event of cessation of anti-dumping duty.
g. SHS has a long history of continued dumping in the country for more than a decade. Despite imposition of Anti-dumping duty and subsequent extension of anti dumping duty in the sunset review, product concerned continued to be imported in significant volumes at dumped prices.
h. Following the issuance of disclosure statement, the domestic industry in their comments have reiterated their submissions made earlier to the Authority and have requested the Authority to confirm the facts disclosed in the disclosure statement in the final findings. They have

requested the Authority to impose anti dumping duty in US$ and on fixed duty basis. They have also added that significant imports of the product under consideration are being reported under Duty Free Import Authorization (DFIA) Scheme, without actual consumption of sodium hydrosulphite in these products. Even when the Government had granted customs duty exemptions under other schemes as well (such as DEPB), the exemption from payment of anti-dumping duty was granted/restricted only in respect of EOU, SEZ and Advance License Scheme. Further, these exemptions were limited to actual user condition. This was for the reason that imports made without payment of anti-dumping duty should not be consumed in the production of finished product sold in the domestic market. Otherwise it would lead to continued injury to the domestic industry. However, if imports have been made in the country for the production of a product which has been exported from India, exemption of such import from payment of anti dumping duty would not cause injury to the domestic industry. It has been added that the exemption in case of DFIA is leading to continued injury to the domestic industry for the reason that DFIA is a transferable license. In case of Advance Licence, the exemption was granted with a clear condition that such exemption shall be subjected to actual user condition. Thus, the Authority may kindly recommend that the exemption from anti-dumping duty is only for actual user condition.

E.2 Views of the exporter, importers, consumers and other interested parties

17. None of exporters from the subject country filed any response with regard to the present investigation.

E.3 Examination by the Authority

18. The Authority has noted the submissions made by the interested parties and issues have been examined under appropriate headings in this final finding in accordance with the Rules. On the issue of desirability of non levy of anti dumping duty on some of the export promotion schemes cited by the domestic industry, it is noted that the issues raised by the domestic industry is not germane to the present anti dumping investigations.

F. DUMPING AND DUMPING MARGIN

F.1 Views of the domestic industry

19. The domestic industry has submitted as under:

a. The domestic industry claimed that China should be treated as non market economy for the purpose of determination of normal value. Further, there is no claim from a Chinese producer or exporter for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment. Such being the case, question of applying para-8 of Annexure-I and considering whether the Chinese companies are entitled for market economy treatment does not arise.

b. In the original and mid-term review investigations, the Authority has not granted market economy treatment to the exporters from China PR.

c. In the previously concluded mid-term review investigation, the Authority had determined the normal value in China PR based on international prices of inputs and conversion cost of one of the domestic producers, duly adjusted for selling, general & administrative expenses and reasonable profit. The petitioners request the Authority to adopt the same methodology for determination of normal value in this case as well.

F.2 Views of the other interested parties

20. None of exporters from the subject country filed any response with regard to the present investigation.

F.3 Examination by the Authority

21. The Authority has noted arguments made by the domestic industry on the methodology for determination of dumping and likelihood thereof. The Authority notes that this being a sunset review investigation, the Authority is also required to examine continuation and likelihood of continuation or recurrence of dumping in the event of withdrawal of duty.

G. Continuation or recurrence of dumping

22. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). No response has been received from any of the producers/exporters from China PR on dumping and dumping margin. The Authority, therefore, has no option but to proceed on the basis of best information available on record

H. Normal value

23. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

24. It is noted that none of the Chinese producers have cooperated in the present investigation. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

> *"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

25. The domestic industry has claimed that normal value should be determined on the basis of the above provisions. The Authority invited comments from all interested parties in accordance with para 7 and 8 of Annexure I. It is noted that China has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the AD Rules. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy can be rebutted, if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. However, none of exporters/producers of the subject goods in China have cooperated with the Authority nor provided any information and evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 to consider the following criteria as to whether-

a) the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;

c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

26. Since none of the Chinese exporters have submitted questionnaire responses including the market economy questionnaire responses and sought to rebut the non-market economy

presumption, the Authority is unable to consider whether one or more Chinese producers could be granted market economy status in the present case. The Authority is therefore constrained to proceed with para-7 of Annexure-I for determination of normal value in case of China.

27. Normal value could not be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information from a producer in that country is not available. It is noted that determination of normal value on the basis of price or cost in a market economy third country requires sufficient information and evidence. However, no such authentic information has been made available either by the domestic industry or any other interested parties. The domestic industry submitted that no such information is publicly available.

28. In view of the above and in the absence of cooperation from Chinese producers, the Authority has considered it appropriate to determine normal value on "any other basis" and has constructed normal value in China on the basis of best estimates of cost of production.

Methodology adopted for constructing normal value

29. The Authority has constructed normal value for the producers in China on the following basis –

(a) Prices of major inputs have been considered on the basis of international prices.
(b) Consumption of raw materials per unit of production has been considered on the basis of verified consumption norms of the domestic industry.
(c) Conversion costs have been considered on the basis of information/data of efficient producer amongst the domestic industry.
(d) Selling, general & administrative costs (including interest costs) have been taken on the basis of information/data of efficient producer amongst the domestic industry.
(e) Profit has been added @ 5% of ex-factory cost excluding interest.
(f) The constructed normal value is determined as US$ *** PMT.

I. Export price:

30. Under section 9A*(1) (b) export price means: "export price", in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

31. The Authority sent questionnaires to all known exporters/producers for the purpose of determination of export price. None of the exporters/producers from subject country filed any information.

32. The Authority has relied upon the International Business Information Services (IBIS) import information provided by the domestic industry to assess the volume and value of subject import in India; in the absence of any response from the exporters/ importers for determination of export price.

33. The prices reported by the IBIS are CIF export price. The CIF export price so determined has been adjusted for ocean freight, marine insurance, port expenses, inland freight, commission, bank charges and VAT difference to arrive at net export price based on the best information available in view of non cooperation from the exporters/producers in China. The ex-factory export price is determined as US$ *** PMT

J. Dumping margin

34. Considering the Normal value and the Export price as determined above, the dumping margin works out as follows:

Particulars	Unit	2010-11 (POI)
Normal Value	US$/MT	***
Export Price	US$/MT	***
Dumping Margin	US$/MT	***
Dumping Margin %	%	70-80

35. The Authority notes that the dumping margin from China PR is significant and more than the de-minimis limits prescribed. It is thus noted that the Chinese producers have continued to export the product under consideration at a price significantly below normal value, resulting in continued dumping. It is also noted that the volume of imports is quite significant.

K. INJURY AND CAUSAL LINK

Views of the Domestic Industry

36. The domestic industry has submitted that –

a. Imports increased significantly. The increase in imports from China is despite imposition of anti dumping duties.
b. Share of imports has remained very significant in relation to demand/ consumption in India.
c. Imports have increased in relation to production and consumption in India.
d. Imports from China are significantly undercutting the prices of the domestic industry.
e. Imports are resulting in price underselling.
f. Imports are depressing the prices of the domestic industry.

g. Performance of the Domestic Industry continues to be poor. Performance of the domestic industry deteriorated in terms of market share, profits, retum on capital employed and cash profits.

h. Even though performance of the domestic industry improved in terms of production and domestic sales, given the decline in market share, it must be concluded that the domestic industry has suffered volume injury as a result of dumping.

i. Given the deterioration in profits, return on investment and cash profits, it must be concluded that the domestic industry has suffered price injury as a result of dumping.

j. Injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty.

k. The product is likely to be exported at a price below normal value, resulting in continued dumping;

l. The dumping margin is unlikely to decline with the cessation of anti dumping duties;

m. The imports are likely to undercut the prices of the domestic industry significantly;

n. The significant price difference between the domestic and imported product is likely to increase the demand for imports.

o. The Chinese producers are already exporting the product under consideration to a number of countries. Prices for exports to these countries are materially lower than the price prevailing in India. Therefore, in the event of cessation of anti dumping duties, the Chinese producers are likely to divert their third country exports to Indian market.

p. Given significant exports to third countries and significant prlce difference between such export price to third countries and price in India, it is evident that significant imports are likely in the event of cessation of anti dumping duties.

q. In the event of significant increase in the imports, the domestic industry would have to either reduce its prices or loose sales. Either situation, the domestic industry would suffer injury. If the domestic industry reduces the prices, it would suffer significant financial losses, negative return on investment and negative cash flows. If the domestic industry does not reduce the prices and imports surge, the domestic industry would loose market share and consequently production, sales and capacity utilization.

r. The domestic industry is already suffering injury. Should the present duty be revoked, the injury to the domestic industry would aggravate.

Views of the Exporter/ Importer/Other Interested Parties.

37. None of the other interested parties have advanced any arguments.

Examination by the Authority

38. Authority has taken note of various arguments raised by the domestic industry with regard to the injury and likelihood thereof to the domestic industry. For the purpose of assessing current injury or continuation of injury during the injury period, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the domestic industry.

Assessment of Demand and Market Share

39. For the purpose of determining the demand and market share, the Authority has considered sales of the Indian producers and imports from various sources. The demand of the product in India has been computed as the sum of domestic sales of the Indian Producers and known imports from various countries. The demand so assessed is shown in the following table.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Assessed Demand	MT	39,876	35,199	43,592	44,413
Trend		*100*	*88*	*109*	*111*
Sales of domestic industry	MT	27,581	23,560	27,449	28,793
Trend		*100*	*85*	*100*	*104*
Sales of supporter	MT	8,000	8,146	9,601	9,237
Sales of Indian Producers	MT	35,581	31,706	37,050	38,030
Trend		*100*	*89*	*104*	*107*
Imports from China	MT	2,311	2,792	5,903	5,061
Trend		*100*	*121*	*255*	*219*
Imports from Korea and Germany (attracting ADD)	MT	1,506	608	533	1,277
Imports from Other Countries	MT	414	38	55	45
Total Imports	MT	4,231	3,438	6,492	6,383

40. It is noted that the demand for the subject goods has shown a positive trend and increased in the period of investigation as compared to the base year with the exception of 2008-09 (being a period of global recession). The sales volume of the domestic industry and imports from the subject country has also improved over the injury period. As compared to base year, whereas the demand has increased by 11%, the sales volume of the domestic industry increased by 4%. On the other hand, the imports from the subject country have nearly doubled over the injury period despite existing anti dumping duty.

41. Whereas the market share of imports from the subject country has increased, in spite of anti dumping duty being in force; the market share of domestic industry has declined over the injury period.

Volume Effect

42. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there is significant actual or potential increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. Annexure II (ii) of the anti dumping rules provides as under:

> *"While examining the volume of dumped imports the said Authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"*

43. Actual volume of imports during the period have been as under –

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Imports from China - Subject country	MT	2,311	2,792	5,903	5,061
Imports from Korea and Germany (attracting ADD)	MT	1,506	608	533	1,277
Imports from Other Countries	MT	414	38	55	45
Total Imports	MT	4,231	3,438	6,492	6,383
Imports from China in relation to					
Total Imports	%	54.62	81.21	90.94	79.29
Demand	%	5.80	7.93	13.54	11.39
Domestic industry Production	%	7.62	9.10	18.34	14.83
Market share in Demand					
China PR	%	5.80	7.93	13.54	11.39
Korea and Germany	%	3.78	1.73	1.22	2.88
Other Countries	%	1.04	0.11	0.13	0.10
Domestic industry	%	69.17	66.93	62.97	64.83
Supporter	%	20.06	23.14	22.02	20.80
Indian Producers	%	89.23	90.08	84.99	85.63

44. It is noted that

a) Imports from the subject country constitute a major proportion of the total imports and have nearly doubled over the injury period. This is in spite of the fact that anti dumping duty on imports from this source is in force.

b) The imports from China increased in relation to consumption/demand in India. Even though the share declined slightly in POI, the same is still significantly higher as compared to 2007-08 and 2008-09. Further, the increase in imports in relation to consumption in India is despite anti dumping duty earlier imposed.

c) The share of Chinese imports in relation to total imports increased significantly over the injury period from 56% in base year to about 80% in POI.

d) The volume of imports in relation to production of the domestic industry increased over the injury period, despite anti dumping duty earlier imposed.

45. It is thus noted that the volume of imports have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

Price Effect

46. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

> *"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."*

47. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. A comparison for product concerned was made between the landed value of exported product and the average selling price of the domestic industry. Selling price of the domestic industry has been determined net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

Price undercutting

Period	UOM	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Net selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Landed price of imports	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
Price undercutting %	%	10-15	1-6	10-15	25-30

48. It is noted that

a. There was significant increase in the import price in 2008-09 and thereafter a significant decline in the import price in 2009-10 and 2010-11.

b. The landed price of imports were below the selling price of imports throughout the injury period, resulting in significant price undercutting. The extent of price undercutting during the POI was significant. It is thus noted that the imports continue to cause significant price undercutting to the domestic industry.

Price suppression and depression

49. The cost and price movement of the domestic industry and the landed value of imports from China have been compared over the injury period to examine whether the effect of dumped

imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Cost of sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*95*	*97*
Net sales realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*132*	*115*	*112*
Landed price of imports	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*146*	*117*	*92*

50. It is noted that

a. The cost of sales increased significantly in 2008-09 and declined thereafter in 2009-10. The cost of sales increased once again in POI. Overall, the cost of sales declined during the POI as compared to the base year.

b. The selling price of the domestic industry moved in the same direction as that of costs between 2007-08 and 2009-10. Thereafter, the cost of production increased during the POI while the selling price declined in 2010-11.

c. Overall for the injury period, there is no price depression and price suppression suffered by the domestic industry. However, from 2008-09 onwards, decline in the net selling prices is more than corresponding decline in the cost of sales and imports of subject goods from subject country have tended to depress the domestic industry price and not allow the domestic industry to increase its price above the cost of sales.

Economic Parameters relating to the Domestic Industry

51. Annexure II to the AD Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered continued injury. The present investigations being a review investigations, injury to the domestic industry is required to be assessed on mutates mutandis basis. Further, it was

examined whether expiry of existing measure is likely to lead to injury to the domestic industry. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization, and Sales

52. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volumes of the domestic industry has been as under:-

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Installed capacity	MT	37,500	37,500	37,500	39,500
Trend	Indexed	100	100	100	105
Production	MT	30,342	30,696	32,183	34,128
Trend	Indexed	100	101	106	112
Capacity utilization	%	80.91	81.86	85.82	86.40
Trend	Indexed	100	101	106	107
Captive Transfer	MT	64	55	51	0
Trend	Indexed	100	86	80	0
Domestic sales	MT	27,581	23,560	27,449	28,793
Trend	Indexed	100	85	100	104
Demand excluding captive consumption	MT	39,876	35,199	43,592	44,413
Trend	Indexed	100	88	109	111
Sales as % of demand	MT	69.17	66.93	62.97	64.83

53. It is noted that

a. The domestic industry has increased its capacity marginally during the POI. The demand for the product has also increased over the period.
b. The production and capacity utilization of the domestic industry shows consistent improvement. Even after enhancement in capacity in POI, the capacity utilization improved.
c. The domestic sales of the domestic industry have improved over the injury period, barring 2008-09 (when demand for the product also declined), in absolute terms. It is, however, noted that the increase in domestic sales of the domestic industry is lower as compared to increase in demand/consumption of the product in India. Resultantly, sales of the domestic industry declined in relation to consumption in India.
d. The captive consumption of the product under consideration by the domestic industry is quite insignificant. Even though the captive consumption declined in POI, the absolute volume of captive consumption being insignificant, the same is not a cause of injury to the domestic industry.

Market share:

54. The effects of the dumped imports on the domestic sales and the market shares of the domestic industry have been examined as below:

	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Demand	MT	39,876	35,199	43,592	44,413
Market share in demand					
Domestic industry	%	69.17	66.93	62.97	64.83
Other domestic producer	%	20.06	23.14	22.02	20.80
Subject Country - China	%	5.80	7.93	13.54	11.39
Third countries attracting duty	%	3.78	1.73	1.22	2.88
Other Countries	%	1.04	0.11	0.13	0.10

55. It is noted that the market share of the domestic industry has declined and that of imports of subject goods from China PR have increased.

Profits, Return on Investment and Cash Flow

56. Profits, return on investment and cash flow of the domestic industry have been examined as under:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Profit before tax	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*-100*	*5*	*-5*	*-33*
Profit before interest	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*-100*	*19*	*3*	*-29*
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*-100*	*20*	*2*	*-26*
Cash profit	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*-100*	*16*	*5*	*-26*

57. It is noted that

a. The domestic industry has suffered significant financial losses in 2007-08. The profitability of the domestic industry improved significantly in 2008-09 with significant increase in the Chinese import price in this period. Profitability of the domestic industry

once again deteriorated thereafter and the domestic industry suffered financial losses in the investigation period.

b. The return on capital employed and cash flow (measured in terms of cash profits) have shown the same trend as that of profits. Performance of the domestic industry in respect of return on capital employed and cash profits improved significantly in 2008-09 and deteriorated thereafter significantly. Both returns on capital employed and cash profits were negative in the investigation period.

Employment and Wages

58. It is noted that the domestic industry constituents are multi product companies. Employment and wages may not be reflective of direct effect of dumping on the domestic industry. The status of employment level and wages of the domestic industry has been as under:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*103*	*106*
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*122*	*140*	*147*

59. It is noted from the above that employment level of the domestic industry has shown improvement. However, the level of wages has also increased over the injury period.

Productivity

60. The productivity performance of the domestic industry is given in the following table:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*97*	*103*	*106*
Productivity per day	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*106*	*112*

61. It is noted that the productivity has improved in tandem with production.

Inventories

62. The Authority has examined the inventory level of the domestic industry, which is given in the following table:-

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*110*	*37*	*104*
Average stock	MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*68*	*47*	*46*

63. It is noted that the average inventory levels with the domestic industry declined during the injury period.

Ability to Raise Capital Investment

64. The domestic industry expanded its capacity and made significant fresh investment in the product. It is noted that the ability to raise capital investment of the domestic industry has not been adversely affected considering the fact that the anti dumping duty is in force. Further, the domestic industry is a multi product company. Ability to raise investments is reflective of overall business operations and is not dependent on particular product performance.

Growth

65. Growth of the domestic industry in respect of various volume and price parameters were as follows.

	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Production	%	-	1.17	4.84	6.04
Domestic sales	%	-	(14.58)	16.51	4.90
Selling price domestic	%	-	***	***	***
Cost of sales domestic	%	-	***	***	***
Average stock	%	-	(32.28)	(29.88)	(3.46)
Profits	%	-	***	***	***
ROI	%	-	***	***	***

66. It is noted that growth of the domestic industry in respect of volume parameters, barring market share, was positive. Growth of the domestic industry in respect of domestic sale was less than market growth, thus leading to negative growth in respect of market share. Further, growth in respect of price parameters was positive in 2008-09 and negative thereafter. It is thus noted that the growth of the domestic industry was adversely impacted on account of price effects of dumped imports of subject goods from subject countries.

Magnitude of Dumping

67. It is noted that there is significant dumping of subject goods during the POI even in the presence of anti dumping duties on this product from China. Further, previous investigations relating to the investigation have also shown positive dumping margin

Factors Affecting Domestic Prices

68. The Authority has considered the import prices of subject goods from China PR, and other countries, change in the cost structure, competition in the domestic market and factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market. After examination, it is noted that the landed value of subject goods from subject country is below the selling price of the domestic industry, causing significant price undercutting in the Indian market. Imports from other countries are at much higher prices or are attracting anti dumping duty. It is also noted that there is no viable substitute to this product. It is further noted that demand for the product is positive and could not have been a factor responsible for price depression faced by the domestic industry. One of the major factors responsible for the domestic industry prices is the import prices of the subject goods and the cost of production of the domestic industry.

Magnitude of Injury and Injury Margin

69. Considering the non injurious price determined for the domestic industry and landed price of imports during the investigation period, the injury margin has been determined. It is noted that the landed price of imports is significantly below the non injurious price and net sales realization of the domestic industry. The imports were thus resulting in price underselling.

Non-injurious price	Rs./MT	***
Landed Price	Rs./MT	***
NIP	Rs /MT	***
Injury Margin	Rs./MT	***
Injury Margin	US $/MT	***
Injury Margin	%	***
Injury Margin	Range	50-60%
Net sales realization	Rs./MT	***

Conclusion on Current Injury

70. In view of the above, it is concluded that there has been significant increase in the dumped imports of the subject goods from subject country. The increase is in both absolute terms as also in relation to production and consumption in India. The market share of the domestic industry in demand has declined while that of dumped imports of subject goods from subject country has increased. It is also noted that the landed price of subject goods from China PR were significantly below the selling price, cost of production and non-injurious price of domestic industry, resulting in significant price undercutting and price underselling. The effect of the dumping has been to depress the prices of the domestic industry and prevent price increases that would have occurred in the absence of dumping. The domestic industry has not been able to increase its prices in proportion to increase in costs. It is further noted that 'performance of the domestic industry improved in respect of profits, return on investment and cash flow till 2008-09 and then declined significantly up to the POI. The domestic industry was earlier facing injury due to dumped Chinese imports in 2007-08 and the position improved thereafter in 2008-09. It is also noted that the performance of the domestic industry however deteriorated thereafter and the domestic industry suffered financial losses, negative return on capital employed and negative cash profits during the review POI. It is also noted that the dumping margin determined as a factor of injury is significant. Factors such as productivity, employment, wages and inventories do not show significant deterioration. It is noted that the deterioration in parameters such as profits, return on capital employed and cash flow establish that the performance of the domestic industry has materially deteriorated. This deterioration in performance of the domestic industry is despite imposition of anti dumping duty.

Likelihood of Dumping and Injury

71. The present investigation being a Sunset Review, the question of continuation of likelihood of dumping and injury to the domestic industry has been examined by the Designated Authority in terms of Section 9 (A) (5) of the Customs Tariff Act, which states as under:-

> *(5)The Anti dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition;*
>
> *Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;*
>
> *Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year.*

Third Country Dumping

72. The domestic industry in its submissions before the Designated Authority claimed that the subject goods are being exported by the exporters from the subject country at a price which is alleged to be dumped prices. In this regard, the domestic industry has claimed that the dumping margins in respect of exports from subject country to the other countries are significant. It is noted that none of the interested parties have rebutted the submissions of the domestic industry of the alleged dumping in the other countries from the subject country. Further, no contrary evidence has been furnished by any of the interested parties to rebut the claims made by the domestic industry.

Ample production capacity of exporters and export orientation of foreign producers

73. The domestic industry in its submissions has claimed that the producers in the subject country are having significant surplus capacities as compared to the demand of subject goods in the subject country. The claims made by the domestic industry in its submissions to the Designated Authority are tabulated below:-

Particular - MT	April'10-March'11
Installed Capacity	905,000
Production in China	630,000
Consumption in China	496,000
Export to world wide	134,000
Capacity Utilization %	69.61%
Surplus Capacity	275,000

74. It is noted that none of the interested parties have rebutted the submissions of the domestic industry of there being large excess surplus capacities available with the producers from the subject country with any verifiable evidence.

75. The Authority holds that producers in the subject country have built capacities far in excess of their domestic demand and capacities have been created considering export markets. Indian market being one of the huge markets in terms of its size, expiry of duty would result in significant surge in imports and in the event of withdrawal of present duty, there is every likelihood of increase in the imports from the subject country to India at dumped prices.

Price undercutting and suppressing/depressing effect of imports in the absence of measures

76. In order to evaluate the price undercutting, suppression and depression effect of imports from the subject country in the event of withdrawal of the duty and to make an assessment of a likelihood of dumping of subject goods from the subject country and consequent injury to the domestic industry, the Authority has undertaken an analysis of the landed value of subject goods from the subject country during the period of investigation and the injury period. The analysis of the data in this regard is summarized in the table below:-

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	*100*	*132*	*115*	*112*
Landed Price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	*100*	*146*	*117*	*92*

77. It is noted that the landed value of imports from the subject country for the injury period and for the period of investigation have generally been lower than the net sales realization of the domestic industry, with a significantly higher difference in the POI. Given the trends of prices of imports from the subject country, there is likelihood of continued undercutting of subject goods from the subject country in the event of a withdrawal of the anti dumping duty.

78. Comparison of landed price of imports with the cost of production and non injurious price of the domestic industry shows that should the present measure cease, the domestic industry would be forced to further reduce the prices. The financial losses suffered by the domestic industry would therefore increase further in the event of cessation of anti dumping duty. Consequently, performance of the domestic industry with regard to return on capital employed and cash flow would deteriorate further. It is noted that should the domestic industry reduce the prices to match the import prices, it would suffer very significant financial losses and heavily negative return on capital employed.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	Rs/MT	***
Landed price of imports	Rs/MT	***
Cost of production	Rs/MT	***
Non injurious price	Rs/MT	***
Selling price after matching import prices	Rs/MT	***

Conclusion on likelihood of dumping and injury

79. It is noted that the Authority has initiated sunset Review in accordance with section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of Antidumping Rules to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. During the

investigation, it is noted that imports of the product under consideration from China are still at dumped prices during the POI for the review which establishes continued dumping and also suggests that the revocation of the measures is likely to lead to intensified dumping. It is also noted that Chinese producers are exporting the product under consideration to third countries at prices below normal value. It is also noted that performance of the domestic industry has deteriorated significantly in the present investigation period as compared to previous years. The price undercutting in the investigation period is considered quite different. It is also noted that the landed price of imports of subject goods from China PR was significantly below the cost of production and non injurious price of the domestic industry. It is also noted that the Chinese producers are faced with significant freely disposable production capacities far exceeding their domestic demand. There has been no significant change in the circumstances, parameters prevailing at the time of previous investigations and at present. It is thus considered that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty.

Other Known Factors and Causal Link

80. Annexure 2 to the Rules provides as follows with regard to Causal Link:

> *"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs (ii) and (iv) above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the Designated Authority. The Designated Authority shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter-alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry."*

81. It is noted that the causal link has been established in the previous investigations. In the present review investigations, Authority has examined whether cessation of anti dumping duties would lead to continuation or recurrence of injury.

a. Volume and value of imports not sold at dumping prices:

82. It is noted that the domestic industry is facing injury from dumped imports from the subject country in addition to countries attracting anti dumping duty, i.e., European Union. statement of imports from various countries shows that the imports of product under consideration from other countries are not significant in volume.

b. Contraction in demand:

83. It is noted that the demand of the product under consideration has increased and has shown a positive growth. Thus, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.

c. Changes in the patterns of consumption:

84. It is noted that the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:

85. It is noted that there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

e. Developments in technology:

86. It is noted that the technology for production of the product has not undergone any material change. Developments in technology, therefore, do not appear to be a possible factor of injury. The domestic industry is producing the product under consideration for the past several years. It has been submitted that the technology adopted by domestic industry is comparable to the technology adopted by other players world-over.

f. Export performance:

87. It is noted that the export volumes of the domestic industry increased significantly in 2008-09 (when demand in India declined). It is also noted that the export volumes declined thereafter. The volume of exports in the POI was higher than the volume of exports in 2007-08. Information relating to only domestic sales has been taken into consideration for assessment of injury to the extent possible.

g. Productivity of the domestic industry:

88. It is noted that the productivity of the domestic industry has not declined. Possible decline in productivity does not appear to be a cause of injury to the domestic industry.

h. Performance of other products produced and sold by the domestic industry:

89. The domestic industry constituents are multi-product companies. The information provided for the product under consideration does not contain any information of other products. It is noted that the performance of other products did not cause any impact over injury to the domestic industry.

90. Examination of performance of the domestic industry, other factors of injury and following factors showing likelihood of dumping and injury shows that cessation of anti dumping duty shall lead to injury to the domestic industry-

a. The volume of subject goods imports from China PR has increased in the period of investigation, thus showing likelihood of further increase in the event of cessation of anti dumping duty.
b. The domestic industry has lost market share despite anti dumping duty being in force.
c. The dumped imports of subject goods from subject country continue to undercut and undersell the domestic prices. This has resulted in financial losses, negative return on capital employed and negative cash profits to the domestic industry in the period of investigation.
d. The foreign producers are faced with significant freely disposable production capacities. Given significant positive price undercutting, the volume of imports is likely to increase significantly in the event of cessation of anti dumping duty.

91. It is thus noted that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti dumping duty.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

92. It is recognized that imposition of anti-dumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

93. It is noted that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

CONCLUSIONS:

94. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation of dumping and consequent injury, the Authority concludes that:

(i) The subject goods entered the Indian market at prices below normal value, resulting in continued dumping.
(ii) The subject goods are likely to enter the Indian market in increased volumes at dumped prices if the anti-dumping duty in force is allowed to cease. The dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of anti dumping duty.

(iii)The domestic industry has suffered continued injury.

(iv)The domestic industry is likely to suffer continued injury and its performance is likely to deteriorate further, should the existing anti dumping duties be allowed to cease.

(v) Cessation of the present duty is likely to lead to continuation of dumping and injury.

(vi) Thus the anti dumping duties are required to be extended and modified.

RECOMMENDATIONS:

95. Having concluded that there is likelihood of continuation of dumping and injury if the existing anti dumping duty is allowed to cease, the Authority is of the opinion that the measure is required to be extended further in respect of imports of subject goods from China PR.

96. Having examined and concluded that the likelihood of dumping and injury injury if the existing anti dumping duty is allowed to cease, it is considered necessary to recommend continued imposition of anti dumping duty in place as recommended in the table below. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority has determined dumping margin and injury margin in the current investigation period and considers it appropriate and necessary to modify the quantum of anti dumping duty to account for dumping margin and injury margin found in the present investigations. The Authority therefore recommends that an anti-dumping duty equal to the amount mentioned in the corresponding entry in column (9) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per the unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (11) of the Table given be imposed on all imports of the product under consideration originating in or exported from the country as mentioned below.

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount (in USD)	Currency	Unit of Measurement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2831 and 2832	Sodium Hydro sulphite	All Grades	Peoples Republic of China	Any	Any	Any	435.39	US$	MT
2.	2831 and 2832	Sodium Hydro sulphite	All Grades	Any	Peoples Republic of China	Any	Any	435.39	US$	MT

97. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054